

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल ढाका।

पत्रांक - १६१/२०२०...../दिनांक- ०८/०८/२०२१

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
-सह- सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण,
बिहार, पटना।

विषय :- NABARD (Bridge) सम्पोशित योजनान्तर्गत फंड की राशि की आधियाचना प्रपत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि विहित प्रपत्र में NABARD (Bridge) सम्पोशित योजनान्तर्गत कराये गये कार्य का अधियाचित राशि विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

१८/०८/२०२१
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

29/8/21

Rural Works Department
NABARD (Bridge) Allotment Requisition Format

Name of Division :- Rural Works Department , Works Div, Dhaka.

Sl No	Year	Name of Road	Name of Contractor (In English)	Administrative Saction		Agreement Amount		Allotment Received (In Laes)	Total Expenditure as per MIS (In Laes)	Value of Measurement (In Laes)	Current Demand (In laes) (11-9)	Remarks
				Length (In M)	Amount (In Laes)	Main Work	Maintenance					
1	2019-20	Construction of RCC H.L. Bridge on Sijua Nala of Kohbarwa to Harinarayan RWD road in chiraia Block	M/S KUMAR CONSTRUCTION COMPANY	30.260	238.140	227.75104	0.73726	122.96381	122.96381	175.63533	52.67152	
Total				30.26000	238.14000	227.75104	0.73726	122.96381	122.96381	175.63533	52.67152	

Divisional Accounts Officer
Rural Works Div, Dhaka

नोट :-

1. खर्च का मिलान MIS से होना आवश्यक है ।
2. अधियचित राशि का पथवार मापपुस्त की प्रथम एवं अंतिम पेज की अभिलेखित छाया प्रति संलग्न होना आवश्यक है ।
3. पूर्ण निर्मित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न होना आवश्यक है ।
4. योजनावार सभी पथों का अधियाचना एक साथ भेजना आवश्यक है ।
5. निर्मित राशि का डीपसी0 विपत्र 15 दिनांक के अन्दर ब्राडा कार्यालय मे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है ।

Executive Engineer
RWD(W) Div, Dhaka.

Executive Engineer
RWD(W) Div, Dhaka.

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)
form of Utilisation Certificate Upto the Month of upto

NABARD (BRIDGE)

PIU:- EE RWD (W) DIVISION DHAKA

R.W.D. (W) DIVISION DHAKA				
S.N.	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in Rs Lacs)	Amount Received (in Rs Lacs)	Particulars
1	Construction of Rural Roads Under NABARD	Up to Date Received Allotment- 22.07.2021	4404.76037	Certified that out of Rs- <u>4404.76037</u> lacs received the year 2021-22 in favour of Executive Engineer R.W.D. (W), Division, Dhaka a sum of Rs- <u>4281.96805</u> lacs has been utilized for the Purpose of NABARD Schemes as given in the margin for which it was sanctioned of Rs- <u>122.79232</u> remaining unutilized at the end of the period under
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
Total :-				

Certified that I have satisfied my self that the condition on which the grants - in -aid was sanctioned have been duly fulfilled are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of Checks exercised :-

- (i) Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer .
- (ii) Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- (iii) Construction material have been tested.
- (iv) Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- (v) All other codal formalities have been observed.

3 Physical Progress achieved :-

- (i) Construction of Road Works.
- (ii) Construction of CD Works.


Divisional Account Officer
R.W.D. (W) Div., Dhaka.


Executive Engineer
R.W.D. (W) Div., Dhaka.

Filed
29/7/21

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक - मु0 अ0-4 (मु0)-रा0यो0-03-632/2018 - 3596

/पटना, दिनांक 22/8/19

प्रेषक,

संजय दूबे, मा0प्र0से0

अपर सचिव।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा
अनुपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के पूर्वी चम्पारण जिला में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 02 पुल निर्माण योजनाओं पर योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना - उप शीर्ष-0105 - ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना) - उप शीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के पूर्वी चम्पारण जिला में (परिशिष्ट - 1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 02 पुल निर्माण योजनाओं जिसकी कुल लम्बाई 75.630 मी0 एवं राशि रू0 561.820 लाख (पाँच करोड़ एकसठ लाख बेरासी हजार रू0 मात्र) है-हेतु योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट-1

नाबार्ड संपोषित योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रशासनिक अनुमोदित योजनाओं की सूची :-

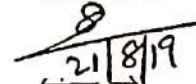
योजनाओं की सूची

Sl. No.	District	Works Division	Block	Name of Road	Length (M.)	Construction Cost	Maintenance Cost	TA Amount (In Lacs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पूर्वी चम्पारण	ढाका	चिरैया	पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, ढाका के अधीन चिरैया प्रखंड के कोहवरवा से हरनारायण आर0डब्ल्यू0डी0 रोड के सिजुआ नाला पर उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल निर्माण कार्य।	30.26	236.030	2.11	238.14
2	पूर्वी चम्पारण	ढाका	चिरैया	पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, ढाका के अधीन चिरैया प्रखंड के गंगापीपर से हरबोलवा आर0डब्ल्यू0डी0 पथ के हरबोलवा सरेह नदी पर उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल निर्माण कार्य।	45.37	319.480	4.20	323.68
Total					75.630	555.510	6.310	561.820

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्राथमिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड 37-4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 459.31 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।

6. संबंधित कार्यपालक अभियंता, द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल मोतिहारी एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दाका यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का चयन मा० मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा संचिका संख्या- मु० अ०-4(मु०)रा०यो०-03-632/2018 के पृ० सं०-02/टि० पर दिनांक-28.12.2018 को किया गया है।
9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०- मु० अ०-4(मु०)रा०यो०-03-632/2018 के पृ० सं०-04/टि० पर दिनांक-18.01.2019 को प्राप्त है।
10. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
11. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे।
12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक-31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- मु० अ०-4(मु०)रा०यो०-03-620/2018 के पृष्ठ संख्या-14/टि० पर दिनांक-13.08.2019 को प्राप्त है।
14. यह राशि उरसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
16. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
17. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से त्क्थ के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वासभाजन

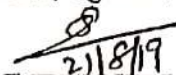

(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापांक- मु० अ०-4 (मु०)रा०यो०-03-632/2018 - 3596

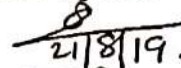
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक-22/8/19


अपर सचिव

ज्ञापांक- मु० अ०-4 (मु०)रा०यो०-03-632/2018 - 3596

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण/अभियंता प्रमुख सह-सचिव, BRRDA, ग्रा० का० वि०, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता-3, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु० अ०-4 (मुख्यालय), ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, दाका/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पाँचवीं मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। एम०आई०एस० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को स्टेट एम०आई०एस० में प्रविष्टि हेतु प्रेषित।


अपर सचिव